न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 22 / 2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
खंगारसिंह पुत्र जवारसिंह, जाति राजपूत,निवासी गोदन, तहसील आहोर, जिला जालोर		राज.सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार आहोर दिनांक 23.10.2015
(ना.क.सं.1203)

1.श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय — दिनांक 12.3.2020

1. अपीलांट के अनुसार अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि ग्राम गोदन के वर्तमान खसरा नम्बर 641 रकबा 2.02 हेक्टर की कृषि भूमि अपीलांट केनाम राजस्व रेकर्ड में चालू जमाबंदी में दर्ज है, शेष खसरा नम्बर की भूमि अविवादित होने से इनका अपील से किसी प्रकार का सबंध नहीं है। अपीलांट द्वारा तहसीलदार आहोर के कार्यालय में खसरा नम्बर 641 की भूमि में से 0.25 हेक्टर भूमि यानि 2500 वर्गमीटर भूमि संपरिवर्तन हेतु पत्रावली पेश करने पर बाद जांच तहसीलदार आहोर द्वारा अपीलांट के पक्ष में 2500 वर्गमीटर भूमि जरिये संपरिवर्तन क्रमांक 3456 दिनांक 31.12.2014 को जारी की गई ,चूंकि अपीलांट की उक्त आराजी मुख्य डामर सडक पर स्थित होने से रास्ते की तरफ 1452 वर्गमीटर यानि 0.1452 हेक्टर भूमि अपीलांट की ओर से रास्ते के रूप में समर्पण की गई, तहसील कार्यालय से समर्पण की स्वीकृति जारी की एवं जरिये राजस्व क्रमांक 2341 / 2015 दिनांक 9.3.2015 को आदेश जारी कर एक प्रति पटवारी हल्का गोदन को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने भेजी गई, उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का को अपीलांट की संपरिवर्तित भूमि को छोडकर रास्ते की तरफ सरेण्डर की गई भूमि का मूल खसरा नम्बर 641 में से कटौति कर राज्य सरकार के हक में नामान्तरकरण दर्ज करना था लेकिन पटवारी हल्का द्वारा भूलवश अपीलांट के संपरिवर्तित खसरा

नम्बर 1184/641में 0.1452 हेक्टर भूमि की कटौति कर राज्य सरकार के हक में नामान्तरकरण दर्ज कर दिया एवं भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार ने स्वीकृत कर दिया जबकि इस प्रकार दर्ज नामान्तरकरण को शून्य होने से अपास्त करने योग्य है। अपीलांट को प्रथम बाद दिनांक 8.6.18 को जमाबंदी की प्रतिलिपि प्राप्त करने पर दिनांक 6.6.18को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी हुई। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार कर मौजा गोदन का नामान्तरकरण सं.1203 दिनांक 23.10.2015 निरस्त कर तहसीलदार आहोर का समर्पण आदेश दिनांक 9.3.2015 की पालना में नया नामान्तरकरण दर्ज करावे। अपीलांट ने अपील के साथ शपथपत्र,धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ म्युटेशन सं. 1203 की प्रति व जमाबंदी 2072–2075 आदि की नकल पेश की,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट्स ने कोई प्रत्युतर पेश नही किया गया हैं अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई,अपीलांट के अभिभाषक ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि मौजा गोदन के खसरा नम्बर 641 की भूमि में से 0.25हेक्टर यानि 2500 वर्गमीटर भूमि जरिये आदेश क्रमांक 3456 दिनांक 31.12.2014को की गई,रास्ते की तरफ 1452 वर्गमीटर यानि 0.1452 हेक्टर भूमि अपीलांट की ओर से रास्ते के रूप में समर्पण की गई लेकिन भूलवश अपीलांट की संपरिवर्तित भूमि खसरा नम्बर 1184/641 में से 0. 1450 हेक्टर भूमि की कटौति कर राज्य सरकार के हक में नामान्तरकरण दर्ज कर दिया,भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार ने स्वीकृत कर दिया , अतः अपील स्वीकार कर म्युटेशन सं.1203 दिनांक 23.10.2015 को निरस्त कर तहसीलदार आहोर के समर्पण आदेश दिनांक9.3.2015(क्रमांकः राजस्व/2341) की पालना में नया नामान्तरकरण दर्ज करावे। इसके विपरीत सरकारी अभिभाषक ने बताया कि तहसीलदार आहोर द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है, अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया।अपीलांट खंगारसिह द्वारा अपनी खातेदारी आराजी ग्राम गोदन के खसरा नम्बर641 रकबा 2.02 हेक्टर आराजी में से 2500वर्गमीटर भूमि का तहसीलदार आहोर के आदेश क्रमांक 3456 दिनांक 31.10.2014 द्वारा आवासीय

प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया, संपरिवर्तन से पूर्व खसरा नम्बर 641 की रास्ते में आने वाली भूमि 66 X 22मीटर =1452वर्गमीटर भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण तहसीलदार आहोर के आदेश क्रमांकःराजस्व/2341 दिनांक 9.3.2015 द्वारा किया गया।

नामान्तरकरण सं. 1203ग्राम गोदन जो दिनांक 23.10.15 को स्वीकार किया गया, में उक्त समर्पण सुदा 1452 वर्गमीटर भूमि जो खसरा नम्बर 641 रकबा 2.02 हेक्टर में से कम की जानी थी, त्रुटिवश संपरिवर्तनसुदा भूमि खसरा नम्बर 1184/641 में से कम कर दी गयी। अतः नामान्तरकरण सं. 1203 खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार आहोर का आदेश दिनांक 23.10.15(ना.क.सं.1203) खारिज किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार आहोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि संपरिवर्तन आदेश तथा समर्पण आदेश के अनुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 12.3.2020 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर